• लापरवाही...

चंबा अस्पताल में धूल फांक रहे वेंटिलेटर

❖ पचास से अधिक वेंटिलेटरों का नहीं हो रहा इस्तेमाल

चंबा : पंडित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में कोविड के दौरान आए वेंटिलेटर को प्रबंधन ने आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए रखा है। टीबी अस्पताल के साथ जहां 80 बिस्तरों वाला कोविड वार्ड बनाया था, वहां वेंटिलेटर मरीजों के बिस्तर के साथ जोड़े गए थे। ये अभी भी वहीं पर हैं। फिलहाल कोविड वार्ड बंद है। हालांकि मेडिकल कॉलेज के अन्य वार्डों में वेंटिलेटर पर्याप्त मात्रा में हैं। हाल ही में आधा दर्जन वेंटिलेटर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने सरोल में बनाए ट्रॉमा केयर सेंटर में स्थापित किए थे। यहां अन्य मशीनें लगाई जा रही हैं। इससे इमरजेंसी में मरीजों को ट्रॉमा केयर सेंटर की सुविधा मिल सकेगी।

इस समय कोविड वार्ड में ताला लटका है। वहां वेंटिलेटर संभालकर रखे गए हैं। इन्हें प्रबंधन किसी भी महामारी या आपातकालीन परिस्थिति में इस्तेमाल कर सकता है। फिलहाल पचास से अधिक वेंटिलेटर ऐसे हैं, जिनका मौजूदा समय में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कोरोना काल में केंद्र सरकार की तरफ से चंबा मेडिकल कॉलेज को 80 वेंटिलेटर भेजे गए थे। इन्हें कोविड वार्ड में लगाया गया था। यहां कोरोना पीड़ित गंभीर मरीजों को उपचार के लिए रखा जाता था। कोरोना खत्म होने के बाद इन वेंटिलेटर का इस्तेमाल भी मेडिकल कॉलेज में कम हो गया है।

चिकित्सा अधीक्षक, चंबा डॉ. बिपन ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल में आए वेंटिलेटर अस्पताल में सुरक्षित रखे हैं। इनका इस्तेमाल किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में किया जा सकता है। फिलहाल कुछ वेंटिलेटर को ट्रॉमा केयर सेंटर में भी स्थापित किया गया है।

• स्कूलों में..

छात्रों को दिया जाएगा प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण

शिमला : स्वास्थ्य मंत्री एवं राज्य रेडक्रॉस समिति के अध्यक्ष डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्रॉस प्रबन्ध समिति की बैठक आयोजित की गई। डॉ. शांडिल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार स्कूली छात्र रेडक्रॉस में शामिल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य रेडक्रॉस द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों में प्रदेश के 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। वह जूनियर रेडक्रॉस के तहत शामिल किए जाएंगे तथा उन्हें विशेषतौर पर प्राथमिक उपचार सुविधा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए प्रदेशभर में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे और छात्रों को प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। कॉलेज व यूनिवर्सिटी के छात्रों को भी यूथ रेडक्रॉस के माध्यम से इस अभियान से जोड़ा जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने रेडक्रॉस के माध्यम से प्रदेशभर में अधिक से अधिक पौधरोपण अभियान के आयोजन पर भी बल दिया और कहा कि स्वयंसेवकों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पौधरोपण स्थलों पर पौध की नियमित देखभाल हो। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की देखभाल और पौधरोपण भावी पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य व धरती के अस्तित्व के लिए बेहद आवश्यक है।

डॉ. शांडिल ने बताया कि राज्य रेडक्रॉस द्वारा पीजीआई सेटेलाइट केंद्र, ऊना के नजदीक सराय भवन के निर्माण के लिए 50 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा जिला कांगड़ा के टांडा स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के समीप रेडक्रॉस द्वारा सराय भवन का निर्माण किया गया है।

डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने रेडक्रॉस द्वारा राज्य, जिला एवं उपमंडलीय स्तर पर किए जा रहे विभिन्न कार्यों को सराहा, विशेषतौर पर गत वर्ष आई आपदा के दौरान राज्य रेडक्रॉस द्वारा किए गए राहत, बचाव एवं पुनर्वास कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि रेडक्रॉस द्वारा वर्षभर प्रदेश में स्वास्थ्य जांच शिविर, नशा निवारण शिविर, प्राथमिक उपचार शिविर, रक्तदान शिविर, रेडक्रॉस मेले, पौधरोपण, स्वच्छता अभियान आदि आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा विभिन्न किट्स व कम्बल आदि का आबंटन, व्हील चेयर, कृत्रिम अंग और एम्बुलेंस सेवाएं आदि भी प्रदान की जाती हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान रेडक्रॉस के स्वयंसेवक सदैव राहत एवं बचाव कार्यों में हिस्सा लेते हैं। उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस की समाज में अहमियत को देखते हुए इसके द्वारा आयोजित गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने एवं स्वयंसेवकों की कार्यकुशलता बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुमानित बजट सहित विभिन्न मुद्दों को अनुमोदित किया गया है।

कैबिनेट फैसले : शिक्षकों के तबादलों पर रोक, 460 स्कूल होंगे मर्ज

अब शिक्षा विभाग में शैक्षणिक स्टाफ को शैक्षणिक सत्र के अंत में प्रतिवर्ष स्थानांतरित किया जाएगा। बीच सत्र में तबादले नहीं होंगे। मंत्रिमंडल ने शून्य विद्यार्थी संख्या वाले 99 स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है।

इसमें 89 राजकीय प्राथमिक विद्यालय और 10 माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। कैबिनेट ने दो किलोमीटर के दायरे के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों...

● संजू/शिमला

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगा दी है। अब शिक्षा विभाग में शैक्षणिक स्टाफ को शैक्षणिक सत्र के अंत में प्रतिवर्ष स्थानांतरित किया जाएगा। बीच सत्र में तबादले नहीं होंगे। मंत्रिमंडल ने शून्य विद्यार्थी संख्या वाले 99 स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। इसमें 89 राजकीय प्राथमिक विद्यालय और 10 माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। कैबिनेट ने दो किलोमीटर के दायरे के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों और तीन किलोमीटर दायरे के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पांच और इससे कम विद्यार्थी संख्या की स्थिति में विलय करने को स्वीकृति प्रदान की। ऐसे करीब 460 स्कूलों को मर्ज किया जाएगा।

मुख्याध्यापक और प्रधानाचार्य भी बच्चों को पढ़ाएंगे : वहीं स्कूलों में केंद्रीय मुख्य शिक्षक, मुख्य शिक्षक, मुख्याध्यापक और प्रधानाचार्य सहित सभी अध्यापक बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने सभी विद्यालयों को राष्ट्रगान के साथ प्रार्थना सभा का आयोजन करने और उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिदिन राष्ट्रीय ध्वज फहराने का भी निर्णय लिया। सभी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा एक अनिवार्य दैनिक पीरियड होगा और स्वास्थ्य एवं आयुष विभागों के सहयोग से सीपीआर और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।

शराब की ओवरचार्जिंग पर जुर्माना : राज्य में वर्तमान में शराब एमएसपी पर बेची जा रही है। लेकिन, सरकार के पास शराब की ओवर चार्जिंग को लेकर कई शिकायतें पहुंची हैं। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि यदि शराब ठेका संचालक ओवरचार्जिंग करेगा तो पहली बार 15 हजार, दूसरी बार 25 हजार, तीसरी बार 50 हजार और चौथी बार ओवरचार्जिंग पर एक लाख रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। पांचवीं बार शिकायत मिलने पर ठेका संचालक का लाइसेंस रद्द होगा।

विधानसभा के मानसून सत्र की तिथियां तयः कैबिनेट ने राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से 9 सितंबर, 2024 तक शिमला में आयोजित करने की अनुशंसा की। मानसून सत्र के दौरान 10 बैठकें आयोजित होंगी। मानसून सत्र में पहली बार इतनी बैठकें होंगी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान व शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी।

मंडी मध्यस्थता योजना में फलों की खरीद का मूल्य तय : बैठक में मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब, किन्नू, माल्टा, संतरा और आम फलों की खरीद 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और गलगल की खरीद दर 10 रुपये प्रति किलोग्राम करने को स्वीकृति प्रदान की गई। सेब की खरीद प्रक्रिया 20 जुलाई से 31 अक्तूबर 2024 तक और आम की खरीद 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त किन्नू, माल्टा, संतरा और गलगल की खरीद 21 नवंबर 2024 से 15 फरवरी 2025 तक की जाएगी।

पुलिस जिला देहरा बनाने का निर्णय : कैबिनेट ने पुलिस जिला देहरा बनाने का निर्णय लिया, जिसका मुख्यालय देहरा में होगा। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 39 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। पुलिस चौकी डाडासीबा को एसडीपीओ देहरा और मझीन को एसडीपीओ ज्वालामुखी के अंतर्गत पुलिस थानों के रूप में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया। इन पुलिस स्टेशनों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 17-17 पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिक्ति, पुलिस स्टेशन ज्वालामुखी के अंतर्गत एक नई पुलिस चौकी ज्वालामुखी सिटी और पुलिस स्टेशन देहरा के अंतर्गत पुलिस चौकी मोइन स्थापित की जाएगी, जिनमें विभिन्न श्रेणियों के छह-छह पद सृजित किए जाएंगे। पुलिस स्टेशन रक्कड़ के अधिकार क्षेत्र को एसडीपीओ ज्वालामुखी से एसडीपीओ देहरा को स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया गया।

एसडीपीओ कार्यालय स्थापित होंगे : कैबिनेट ने जिला मंडी के धर्मपुर में एसडीपीओ कार्यालय स्थापित करने और विभिन्न श्रेणियों के पांच पद भरने को मंजूरी दी। जिला चंबा में नए स्थापित किए गए एसडीपीओ कार्यालय चुवाड़ी के लिए विभिन्न श्रेणियों के छह पद और नए पुलिस स्टेशन सिहुंता के लिए विभिन्न श्रेणियों के 22 पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में जिला कांगड़ा के इंदौरा में खोले गए नए एसडीपीओ कार्यालय में विभिन्न श्रेणियों के छह पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडलल ने जिला हमीरपुर के भोरंज में नए स्थापित पुलिस थाना में 6 पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की।

• भड़के लोग...

सरकारी जमीन पर कब्रिस्तान

ऊना : जिला ऊना के गांव नंगल सलांगड़ी में जिला प्रशासन द्वारा कब्रिस्तान के लिए दी जा रही चार कनाल सरकारी भूमि को लेकर ग्रामीणों ने ऐतराज व्यक्त किया है। इसी मामले को लेकर ग्राम पंचायत की प्रधान आशा देवी के नेतृत्व में पंचायत के सदस्य और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने डीसी कार्यालय पहुंचकर इस कब्रिस्तान का विरोध किया और कहा कि बाहर से आकर बसे दो परिवारों के लिए गांव में कब्रिस्तान के लिए सरकारी भूमि देना गलत है। वहीं ग्रामीणों ने एमसी पार्क में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। ग्रामीणों ने कहा कि इसी भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा गौशाला बनाने के लिए जब जिला प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी तो इसे नॉन अलॉटेबल जमीन बता कर गौशाला का काम रुकवा दिया गया था। लेकिन अब इसी जमीन को कब्रिस्तान के लिए किस आधार पर आवंटित किया जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि अब भी सरकार और प्रशासन उनकी बात नहीं मानी तो उसके लिए उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ेगा।

• घ्युवक ने लगाया फंदा...

पांवटा साहिबः जिला सिरमौर के पांवटा साहिब उपमंडल में युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान ऋषभ देव दुआ पुत्र सुरेंद्र कुमार निवासी मकान नंबर 157, वार्ड नंबर 3 आदर्श कालोनी, बद्रीपुर पांवटा साहिब कै तौर पर हुई है। पुलिस टीम को सूचना मिली कि गांव एवं मौजा भाटांवाली में एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर पुलिस थाना पांवटा साहिब की टीम मौके पर पहुंची।